

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 22/03/18

क्रमांक रीडर/2018/641

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1 हुसैन पुत्र नगा खां जाति  
तेली निवासी रावतसर दक्षिण  
तहसील व जिला बाड़मेर।


1 भीखाराम पुत्र चेतनराम जाति सुथार निवासी  
डूडियों की ढाणी 2 कालू खां पुत्र नूरा खां 3  
कैसा खां पुत्र हमीरा खां जाति तेली 4 गोमाराम  
पुत्र हीराराम जाति प्रजापत निवासी रावतसर  
दक्षिण तहसील व जिला बाड़मेर 5 तहसीलदार  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी नागत  
राजस्व आवेदन संख्या - 22/2018

दिनांक- 22/03/18

## आदेश

उपर्युक्त प्रकरण मौजा रावतसर दक्षिण पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील व जिला  
बाड़मेर के खसरा संख्या 1732/1481 रकबा 06.09 बीघा, खसरा संख्या 1735/1481  
रकबा 06.10 बीघा, खसरा संख्या 1739/1481 रकबा 09.00 बीघा, खसरा संख्या  
1754/1481 रकबा 06.00 बीघा कुल रकबा 27.19 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम  
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया  
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र  
के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमाकन व  
पत्थरगद्दी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के  
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये  
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा  
मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 22/03/18

क्रमांक :- रीडर/2018/642-641

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रकडें उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. हुसैन पुत्र नगा खां जाति तेली निवासी रावतसर दक्षिण तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी भीखाराम पुत्र चेतनराम वगैरह जाति सुथार निवासी डूडियों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर